पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी [illegible] विरुद्ध प्रतिवादीगण [illegible] 17/9/19 को पेश हो

Rulki

17/9/2019 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी बहस हेतु समय चाहते हैं अतः पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25/10/2019 को पेश हो।

25/10/2019 ~~पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी बहस हेतु समय चाहते हैं। अतः पत्रावली वास्ते बहस तारीख 11/11/2019 को पेश हो।~~

11/11/2019 पत्रावली पेश हुई। आधिवक्ता अपीलांट उपस्थित, रेस्पो० नं० 02 की तरफ से GA उपस्थित। रेस्पो० सं० 1 बाबजूद इत्तला मुकर्रर लिहाजा इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत अपील SDO (सहायक कलक्टर) शेरगढ़ के आदेश दिनांक 8/6/2017 केस कोर्ट खोलकिया तला के विरुद्ध पेश की है। अपीलाधीन आदेश से वादीगण (अपीलांट) का दावा न्यायालय आदेश तथा CPC के प्रावधानों के तहत प्रतिवादीगण को सम्मन नहीं लिखकर उदासीनता बरतने एवं अवज्ञा (Non-Compliance) के कारण खारिज किया है जो CPC के प्रावधान 09 R2 सम्मनों की तामील, A.D Regd. सम्मन लिखाने के आदेश दि 11/7/17 को अमल न रहने के कारण वादपत्र खारिजी की परिधि में आता है। आदेश 43 के अन्तर्गत CPC के 09 R2 के तहत पारित किसी आदेश की अपील सुनवाई नहीं है लिहाजा प्रस्तुत अपील ग्रहण योग्य ही नहीं है। अपीलांट को अपील सक्षम न्यायालय में विधि में विहित उपचार उपचार हेतु, पेश करने हेतु लौटाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नेकर से कम हो।

Not equal
11.11.19

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर